तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी
27-1-25	75/ प्रार्थना पत्र/23 मांगली बेटर फार्मिंग कॉ-आपरेटिव सोसायटी/सरकार	

~~वकुलाय उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई है।~~

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण का कथन रहा कि प्रार्थी क्रम सं.1 के पति एवं प्रार्थी क्रम सं.2 व 3 के पिता परमानन्द आ. अमीरचन्द गांधी ने दिनांक 04.06.2020 को प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के बाबत प्रार्थी क्रम सं. 1 से 3 के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी थी। श्री परमानन्द गांधी का स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थी सं.1 व 2 के लिए राजकीय कार्यालय में कार्य के लिये प्रार्थी सं. 3 को मुख्तारनामाखास दिनांक 20.06.2022 को निष्पादित किया गया। इसलिए प्रार्थी सं.01 लगायत 3 परमानन्द गांधी को प्राप्त अधिकारों के बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी है। मांगली बेटर फार्मिंग कॉ-आपरेटिव सोसायटी लि0 कोटा को एल.आर. एक्ट के प्रभाव में आने के पूर्व ही ग्राम मांगली, गादेगाल एवं बरखेडा तहसील एवं जिला बून्दी में 879 बीघा 04 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के निर्देशानुसार खेती कर आजीविका चलाने के लिये आवंटित की गई थी। इस सोसायटी के सदस्य पाकिस्तान से विभाजन के समय विस्थापित होकर आये थे। प्रमुख सदस्य अमीरचन्द आ. जसराम गांधी थे। आवंटित भूमि अमीरचन्द जर्ये मांगली बेटर फार्मिंग कॉ-आपरेटिव सोसायटी लि. कोटा जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दी गयी थी। जिला कलक्टर बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 20.06.1973 से उक्त भूमि राजकीय दर्ज करने, अधिग्रहण करने और कब्जा सरकार प्राप्त करने का आदेश जारी किया गया। जिसके विरूद्ध दायर अपील सं. 74/1976 अमीरचन्द बनाम जिला कलक्टर बून्दी वगै. न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 03.02.1977 को खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध निगरानी संख्या 33/77 रामप्रकाश वगै. बनाम जिला कलक्टर बून्दी वगै. न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर में पेश की गई, जिसे आदेश दिनांक 19.01.1984 को स्वीकार किया जाकर आवंटित भूमि अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई तथा जिला कलक्टर बून्दी का आदेश दिनांक 20.06.1973 निरस्त कर दिया गया। साथ ही विवादग्रस्त भूमि अधिग्रहण से मुक्त हो जाने से उक्त भूमि पर धारा 91 के अन्तर्गत की गई समस्त कार्यवाहियों को भी निरस्त कर दिया गया। राजस्व मंडल अजमेर के उक्त निर्णय की पालना के लिए प्रार्थीगण ने राज्य सरकार एवं विभिन्न संस्थाओं को कई बार आवेदन किये किन्तु न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई। जबकि उक्त कृषि भूमि वापस अमीरचन्द गांधी जर्ये मांगली बेटर फार्मिंग कॉ-आपरेटिव सोसायटी लि. के नाम जर्ये प्रार्थीगण दर्ज किये जाने एवं कब्जा संभलाये जाने का दायित्व इसी न्यायालय का है और न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त हे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जिला

जिला कलेक्टर, बून्दी

कलक्टर बून्दी के आदेश दिनांक 20.06.1973 द्वारा मांगली बेटर फार्मिंग कॉ–आपरेटिव सोसायटी लि. की अधिग्रहित कृषि भूमि वापस प्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे तथा कृषि भूमि का भौतिक कब्जा प्रार्थीगण को संभलाया जावे। साथ ही आवंटित भूमि में से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिग्रहण में दी गयी कृषि भूमि का मुआवजा भी प्रार्थीगण को दिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

पेरोकार सरकार का तर्क रहा कि प्रार्थीगण पीड़ित पक्षकार नहीं होने से उनको उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की अधिकारिता नहीं है, क्योंकि उक्त आवंटन व्यक्तिगत रूप से प्रार्थीगण या इनके पिता के पक्ष में नहीं हुआ था, अपितु मांगली बेटर फार्मिंग कॉ–आपरेटिव सोसायटी लि0 को किया गया था, उक्त सोसायटी सन् 1958 से ही अवसायन में ले ली गई है तथा काश्त हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई भूमि जिलाधीश महोदय, बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 20.06.1973 से पुनः सहकार के हक (राजहित) में अधिग्रहण कर ली गई है, तो ऐसे में अस्तित्वहीन सोसायटी के हक अधिकारों के लिए प्रार्थीगण पीड़ित पक्षकार नहीं है। उक्त सोसायटी के अस्तित्व में नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र अधिकारिता के अभाव में चलने योग्य नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आगे निवेदन है कि प्रकरण में न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 19.01.1984 की पालना हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। मियाद को कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम पेश नहीं किये जाने से मियाद के बिन्दू पर किसी प्रकार की राहत बाबत विचार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मियाद बाहर पेश किये जाने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। इस कार्यालय की पत्रावली एफ.12–7(1)राप्र/राज/73 के अवलोकन से प्रकट है कि राज्य सरकार द्वारा बून्दी जिले की तहसील बून्दी के ग्राम मांगली, गादेगाल एवं बरखेडा में कुल 879 बीघा 04 बिस्वा भूमि मांगली को–आपरेटिव फार्मिंग सोसायटी लि0 को आवंटित की हुई थी। उक्त सोसायटी के बाइलाज के क्लॉज 48(बी) का उल्लंघन करके सोसायटी के सदस्यों द्वारा इस सोसायटी की भूमि को अन्य लोगों को सबलेट या आवंटित करना मालुम हुआ है तथा समिति को जिन शर्तो पर भूमि दी गई थी, उसका भी उल्लंघन किया है। यह सोसायटी सन् 1958 से ही अवसायन में ले ली गई है। इस परिस्थिति में बाइलाज के

जिला कलेक्टर, बून्दी

नियम 45 एवं राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1956 के नियम 5(4) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में इस सोसायटी को आवंटित भूमि वापस अधिग्रहण करने के अधिकार प्राप्त है। यह सोसायटी अवसायन में आ जाने के पश्चात से उक्त आवंटित भूमि रसीवर मांगली को–आपरेटिव फार्मिंग सोसायटी एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, बून्दी के कब्जे में है। रजिस्ट्रार को– आपरेटिव सोसायटीज, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 16.8.1972 से सोसायटी को आवंटित भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करने के निर्देश प्राप्त होने पर जिला कलक्टर बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 20.06.1973 पारित कर उपरोक्त वर्णित भूमि सरकार के हक में अधिग्रहण कर ली गई है। उक्त आदेश के विरूद्ध दायर अपील सं.74/1976 अमीरचन्द बनाम जिला कलक्टर बून्दी वगै. न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 03.02.1977 को खारिज की जा चुकी है। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निगरानी सं.33/77 बउनवान रामप्रकाश वगै. बनाम कलेक्टर बून्दी वगै.में पारित निर्णय दिनांक 19.01.84 से जिला कलक्टर बून्दी का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुये निगरानी स्वीकार की जाकर विवादग्रस्त भूमि अधिग्रहण से मुक्त की जा चुकी है। चूंकि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 20.06.1973 गुणावगुण पर खारिज नहीं किया जाकर श्रवणाधिकार राज्य सरकार को होने के बिन्दू पर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय की पालना हेतु राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया।

जहां तक प्रार्थीगण के हस्तगत प्रार्थना पत्र का प्रश्न है तो पेरोकार सरकार के जवाब में अंकित आपत्तियों के संबंध में वकील प्रार्थीगण की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जब उक्त सोसायटी सन् 1958 से ही अवसायन में ले ली गई है तो ऐसी स्थिति में सोसायटी के अस्तित्व के अभाव में उक्त सोसायटी के किसी एक सदस्य के उत्तराधिकारियों में से किसी एक उत्तराधिकारी के वारिस होने से मात्र से विरासत के आधार पर प्रार्थीगण पीड़ित पक्षकार नहीं माने जा सकते है, क्योंकि उक्त भूमि आवंटन व्यक्तिगत नहीं होकर संस्थागत है। प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी से किस प्रकार हिताधिकारी है ? प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है। ऐसे में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से यहां चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण औचित्यहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

जिला कलेक्टर; बून्दी